

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/16-17

जयपुर, दिनांक

समस्त प्रभारी अधिकारी, (वाद)

मुख्यालय।

समस्त उप निदेशक, मबावि

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,

विषय:- निर्णीत न्यायिक प्रकरणों में पालना/अपील की सूचना लाईट्स साफ्टवेयर में इन्द्राज करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन न्यायिक प्रकरणों (विरुद्ध) में निर्णय सरकार के विपक्ष में हुआ है उन प्रकरणों में पालना/अपील की सूचना न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स पर निम्न प्रकार अपडेशन की कार्यवाही करावे:-

**Dashboard > Pending Case Report > Decision Not Implemented** में प्रदर्शित डाटा प्राप्त कर अपेक्षित कार्यवाही (निर्णीत प्रकरणों में पालना/अपील की सूचना) **Case Management > Case Decision** में इन्द्राज करावे। उक्त निर्देशों का आप कठोरता से पालना करें अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी।

*sd-*

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

25038-040

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/16-17

जयपुर, दिनांक : 6-2-18

प्रतिलिपि

1. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
- ✓ 3. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

*Jan*

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर